



बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना-800 014

संख्या- **FC-342**

प्रेषक,

ए० के० पाण्डेय भा० व० से०
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण एवं वन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 15, दिनांक- **10/04/2018**

विषय - दरभंगा जिलान्तर्गत बिरौल-सिंधिया भाया पिपरा पथ में सिंधिया-हिरणी 10.00-13.10 कि०मी० पथांश के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 व तहत 4.8856 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर अन्तिम स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग - भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची क पत्रांक FP/BR/ROAD/26896/2017/1915 दिनांक 01.03.2018

महाशय,

प्रसंगाधीन पत्र द्वारा विषयाधीन परियोजना के निर्माण हेतु वन भूमि अपयोजन के सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हुई थी। सैद्धान्तिक सहमति पत्र में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन कार्यपालक अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, गया के पत्रांक 211 (अनु० दिनांक 26.03.2018 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त हुआ है जो निम्नवत् है-

क्रम सं	MoEF&CC क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्र दिनांक 01.03.2018 में निहित कंडिका	अनुपालन
1	Legal status of forest land proposed for diversion shall remain unchanged.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि प्रस्तावित पथांश में अपयोजित होने वाली वन भूमि के Legal status (वैधानिक स्थिति) में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
2	The State Govt. shall charge the Net Present Value (NPV) of forest area proposed to be diverted under this proposal from the user agency as per the Orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition	NPV मद में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा 4.8856 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रु० 30,58,386/- (रु० तीस लाख अठ्ठावन हजार तीन सौ छियासी) मात्र को ऑन लाईन के माध्यम से Ad-hoc CAMPA लेखा में जमा करा दी गयी है जो Ministry website पर प्रदर्शित है।
3	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India, shall be charged by the State Govt. from the user agency.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा बचनबद्धता दी गयी है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा, अंतिम आदेश प्राप्त होने के उपरान्त भी यदि किसी प्रकार का अतिरिक्त NPV की राशि देय होगी तो उसका भुगतान किया जायेगा।

4	Compensatory Afforestation over the degraded forest land twice in extent to the forest land being diverted shall be raised and maintained by the State forest Department at the cost of the user agency. The user agency shall transfer the cost of plantation and its maintenance for 10 years (revised as on the date to incorporate the existing wage structure) to State Forest Department.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण मद की कुल राशि रु० 32,39,756/- (रु० बत्तीस लाख उनचालीस हजार सात सौ छप्पन) मात्र को ऑन लाईन के माध्यम से Ad-hoc CAMPA लेखा में जमा करा दी गयी है जो Ministry website पर प्रदर्शित है।
5	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred online to the Ad-hoc CAMPA in the Saving Bank Account pertaining to the State concerned	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा NPV एवं CA मद की कुल राशि रु० 62,98,142/- (रुपये बासठ लाख अनठानवें हजार एक सौ बियालीस) मात्र को ऑन लाईन के माध्यम से Ad-hoc CAMPA लेखा में जमा करा दी गयी है जिसका Application No. 6126896150 है एवं राशियाँ Ministry website पर प्रदर्शित है।
6	The boundary of the forest land proposed for diversion, shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concret pillars, each inscribed with its serial number, DGPS coordinates, forward and back bearing and distanec from adjoining pillars ets.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इन शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
7	Felling of trees as required should be done under the supervision of the State Forest Department.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सहमति व्यक्त की गयी है कि वृक्षों का पातन पर्यावरण एवं वन विभाग के देख-रेख में किया गया है।
8	The user agency shall raise strip plantation on either sides of the road and central verge at project cost,.....	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र दिया गया कि पथ निर्माण के उपरान्त उनके द्वारा इन शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
9	Wherever possible and technically feasible, the User Agency shall undertake afforestation measures along the roads within the area diverted under this approval, in consultation with the State Forest Department at the project cost.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इन शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
10	Earth or any other material shall not be brought from and debris resulting during construction shall not be disposed of in the adjoining forest area by the user agency.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचना दी गयी है कि पथ निर्माण के क्रम में वन भूमि से मिट्टी या कोई अन्य Material नहीं लिया जायेगा और न ही कचड़े आदि का Disposal वन भूमि पर किया जायेगा।
11	It will be the responsibility of the User Agency to ensure that the labourers and staff engaged in construction	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचना दी गयी है कि परियोजना निर्माण के क्रम में मजदूरों एवं अन्य कर्मियों द्वारा वन क्षेत्र में किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।

12	The lay out plan of the proposed forest land shall not be changed without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सहमति व्यक्त की गयी है कि पर्यावरण एवं वन विभाग की अनुमति के बिना परियोजना lay out plan में बदलाव नहीं किया जायेगा।
13	The forest land proposed for diversion shall, under no circumstances, be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पूर्वानुमति के बिना किसी दुसरे विभाग/संस्था/व्यक्ति को वन भूमि का हस्तान्तरण नहीं किया जायेगा।
14	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि वन क्षेत्र का उपयोग प्रस्तावित उद्देश्य के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य में नहीं किया जायेगा।
15	The user agency and the State Government shall ensure compliance to provision of the all Acts, Rules, Regulations and Guidelines, for the time being in force, as applicable to the project.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि परियोजना के कार्यान्वयन के समय all acts, Rules, Regulation and Guidelines का पालन किया जायेगा।
16	Any other conditions that the Ministry of Environment & Forests may impose from time to time in the interest of afforestation, conservation and management of flora and fauna in the area, shall be complied by the user agency.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि परियोजना निर्माण के क्रम में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्गत वन (संरक्षण) संबंधी सभी आदेश एवं नियम का पालन किया जायेगा।

इस प्रकार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सभी अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जा चुका है।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार को प्रश्नगत परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत 4.8856 हे० सुरक्षित वन घोषित भूमि के अपयोजन हेतु अंतिम स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध करने की कृपा की जाय। प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु०-यथोक्त

विश्वासभाजन,

ह०/-

(ए० कै० पाण्डेय)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

ज्ञापांक- FC-342

दिनांक- 10/04/2018

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियन्ता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, बेनीपुर/वन प्रमंडल पदाधिकारी मिथिला वन प्रमंडल, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।

(ए० कै० पाण्डेय)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।